कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/03/2025

योगेश उपाध्याय निवासी कर्नल गणेशी लाल की हवेली मोहल्ला गोपालगढ़, भरतपुर जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अभि.) भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 14.02.2025

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट योगेश उपाध्याय निवासी कर्नल गणेशी लाल की हवेली मोहल्ला गोपालगढ़, भरतपुर जिला भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू.अभि.) भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/25/100 दिनांक 31.01.2025 से लोक सूचना अधिकारी से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार (भू.अभि.) भरतपुर से पत्रांक राजस्व/2025/204 दिनांक 13.02.2025 से जबाब/सूचना प्राप्त हुई, जो शामिल मिसिल की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में अंकित किया है कि ".....प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

के पत्रांक राजस्व/2025/17 दिनांक 01.01.2025 के द्वारा तैयार की जाकर आवेदक को जरिये दूरभाष पर सूचित किया गया। आवेदक द्वारा इस कार्यालय में उपस्थित होकर चाही गई सूचना को पढकर यह कहते हुए कि मेरे द्वारा चाही गई सूचना अपूर्ण है। अतः मैं उक्त सूचना नहीं लेना चाहता हूँ। यह कहकर वापस चले गये। तदोपरान्त इस कार्यालय द्वारा जरिये रजिस्टर्ड पत्र के द्वारा आवेदक को दिनांक 13.02.2025 को भिजवा दी गई है।....."

प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उक्तानुसार अपीलार्थी द्वारा बिन्दुवार चाही गई सूचना के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को भिजवाये गये जबाब का भी अवलोकन किया गया। अपीलार्थी को भिजवाये गये जबाब में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अंकित किया है कि".....बिन्दु संख्या 1,3, 5 की सूचना तैयार है बिन्दु संख्या 2 में चाही गई सूचना के सन्दर्भ में क्रय किये गये दस्तावेज राजस्व शाखा में उपलब्ध नहीं है। बिन्दु संख्या 4 की सूचना प्रश्नात्मक है जबकि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकारी प्रकोष्ठ) राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना प्राधिकारी द्वारा सूचना सृचित करना या व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।....."

उक्तानुसार लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब के अवलोकन से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.) भरतपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपील के साथ प्रस्तुत आवेदन पत्र

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अनुसार चाही गई सूचना प्रार्थी / अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है / जवाब प्रेषित किया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने के कारण अपील खारिज योग्य है।

. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.) भरतपुर को प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर